तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज शीशराम बनाम रूडाराम वगै0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-06-2022	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत वाद घोषणा,विभाजन एव स्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध प्रतिवादी स0–1 रूडाराम के द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. दिनांकित 05.04.2022 के बाबत दिनांक 20.06.2022 को सुनी गई बहस के आदेश हेतु पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत पा0 पत्र 07 आर 11 सी.पी.सी में उठाये गये बिन्दुओं को तय करने के लिए न्यायालय को यह देखना है कि प्रार्थी प्रतिवादी न0 1 ने न्यायालय के समक्ष कोई सदभावना पूर्वक सारवान बिन्दु उठाया हो कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 में उल्लेखित आधारों पर नामंजूर होने योग्य है। यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी ने वाद में वर्णित भूमि को पैतृक भूमि मान कर अपने पिता के जीवनकाल में 1/3 हक हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने का तथा वादग्रस्त भूमि का खाता विभाजन करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अनुतोष वर्तमान वाद के माध्यम से चाहा गया है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि वादी शीशराम के पिता रूडाराम जीवित हैं। वकील प्रतिवादी न0 1 अपने प्रस्तुत प्रा0 पत्र 07 आर 11 सी.पी.सी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिवानी प्रकिया संहिता के आदेश 27 नियम 5 (क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, बिना पक्षकार बनाये वाद पत्र पोषणीय नहीं है। साथ में यह भी कथन किया कि वादी का पिता रूडाराम जीवित है, वादी को विभाजन का वाद लाने का कोई भी अधिकार नहीं है। वाद काननू से बाधित होने के कारण निरस्त योग्य है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का जन्म उनके दादा गणपतराम की मृत्यु के बाद हुआ है। ऐसी स्थिति में विवादित सम्पदा वादी की पैतृक भूमि नहीं है इसलिये वादी का कोई वाद कारण नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय विलेख के मार्फत किय किया है। पंजीबद्ध विक्रय विलेख को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है, न कि राजस्व न्यायालय को। इसलिये वाद पत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में निरस्त योग्य है। प्रस्तुत वाद वादी द्वारा केवल भूमि को पैतृक संपति मानकर पेश किया गया है जबकि प्रकरण में कोई भी राजस्व रिकार्ड वादी द्वारा अपने दादा गणपत के नाम से पेश नहीं किया गया है। उक्त स्थिति में भूमि पैतृक साबित नहीं होने के कारण वाद पत्र प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है अतः निरस्त करने का निवेदन किया गया है। जिसके संबध में निम्न नजीरें पेश की गई हैं :– 1. 2016 (1) आर आर टी 634 पुरूषोतम बनाम राज्य सरकार निर्णय दिनांक 22.09.2015	

2. 2015 (2) आर आर टी 1221 लालचंद बनाम देवीलाल निर्णय दिनांक 10.07.2015

वकील वादी (अप्रार्थी) ने वकील प्रार्थी के तर्कों का विरोध करते हुए अपने जबाव प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सीपीसी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र कानूनी प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत किया गया है व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को कानूनी प्रावधानों के तहत ही पक्षकार बनाये गये है प्रतिवादी नम्बर 1 रूड़ाराम जीवित होने का तथ्य स्वीकार करते हुए उनवानी वाद पत्र में विवादित भूमि को पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में व्यक्ति का जन्म से ही अधिकार निहित होता है इसलिये वादी को उपरोक्त उनवानी वाद प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ने पैतृक भूमि का बिना विधिवत विभाजन, वादी की बिना सहमति व जानकारी के प्रतिवादी नम्बर 3 को बेचान किया एवं वादी द्वारा उपरोक्त वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है जिसे श्रवण एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है और साथ में यह भी तर्क किया कि विवादित भूमि वादी की पैतृक संपति है एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 42/2020 में आदेश दिनांकित 25.08.2021 में न्यायालय श्रीमान द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि को वादी की पैतृक संपति मानते हुए ही अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सीपीसी केवल मात्र वादी को हैरान, परेशान करने एवं माननीय न्यायालय श्रीमान का कीमती समय को जाया करने के उद्देश्य से पेश किया गया है, जो कि काबिले खारिज योग्य व विधि वर्जित होने पर हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया जाकर बहस के समर्थन में निम्न नजीरें पेश की गई :

1. Board of Revenue 2010(1)RRT 273 Devilal Vs Prakash &ors. Dt 25-01-2010
2. AIR 2011MADRAS 136 nrAVINDRAN VS Ramchandran Dt 14-03-2011
3. 2014-15(Supp)RRT 596 Mahendra singh Vs Smt Murti Devi Dt 05-01-2015
4. 2018(2)Civil Court cases 844 (SC)Soumitra kumar sen Vs Shyamal Kumar Sen &ors Dt 21-02-2018
5. 2019(1)RRT291 Supreme Court Pyarelal Vs shulehendra pilania (Minor) dt 29-01-2019

हमने वाद पत्र व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सीपीसी व जबाव दावा प्रार्थना पत्र अप्रार्थी में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर गंभीर मनन किया गया।

न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा संख्या 42/2020 दिनांक 25.08.2021 प्रार्थी के वादग्रस्त भूमि के पैतृक भूमि पर होने के कथन को प्रथम दृष्टया स्वीकार करते हुए जारी की गई थी।

प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सीपीसी का जबाव अप्रार्थी (वादी) द्वारा दिनांक 16.05.2022 को पेश किया गया था। जबाव के साथ उन्होने भूमि के पैतृक होने संबधी कोई राजस्व रिकार्ड पेश नही किया। न्यायालय द्वारा उन्हे भूमि के पैतृक होने संबधी राजस्व रिकार्ड पेश करने बाबत निर्देशित किया गया । दिनांक 20.06.2022 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पर बहस के दौरान भी न्यायालय द्वारा प्रार्थी को पैतृक भूमि के समर्थन मे राजस्व रिकार्ड पेश करने बाबत निर्देशित किया । अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड आदिनांक न्यायालय के समक्ष पेश नही किया है।

विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि हिन्दु संयुक्त परिवार द्वारा चार पीढियों से चली आ रही अविभाजित संपति को पैतृक संपति माना जाता है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक साबित नहीं होती है। वादी द्वारा अपने दादा गणपत के नाम से वादग्रस्त भूमि का कोई राजस्व रिकार्ड या अन्य सबूत पेश नहीं किया है।

न्यायिक दृष्टांत 2016 (1) आर आर टी 634 पुरूषोतम बनाम राज्य सरकार निर्णय दिनांक 22.09.2015 जिसमें माननीय राजस्व बोर्ड ने अभिनिर्धारित किया कि पिता के जीवनकाल में पुत्र विभाजन का दावा नहीं कर सकता। केवल सह खातेदार बंटवारा हेतु पात्र है।

न्यायिक दृष्टांत 2015 (2) आर आर टी 1221 लालचंद बनाम देवीलाल निर्णय दिनांक 10.07.2015 में माननीय राजस्व बोर्ड ने अभिनिर्धारित किया कि यदि भूमि पैतृक साबित नहीं होती है तथा रिकार्डेड खातेदार ने भूमि बेची है तो विकय पत्र को शून्य केवल सिविल न्यायालय ही कर सकता है।

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सीपीसी पर पूर्णतया चस्पा होते हैं। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उठाये गये तर्कों में कोई सार नही है तथा ना ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टात चस्पा होते हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि पैतृक साबित नहीं हुई है। अतः वादी को वादपत्र पेश करने के लिए कोई वाद हेतुक नहीं है। साथ ही रिकार्डेड प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निष्पादित विकय पत्र को शून्य करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

उक्त सभी तथ्यों के विवेचन करते हुए और विधि की मंशा को ध्यान में रखते हुए अप्राथी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी वाद हेतुक के अभाव व इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निहित नहीं होने पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली हस्ब जुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

24.06.22

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा0दी0)
न्यायालय उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी :- शैलेश खैरवा (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या :- 68 / 2020

उनवान

शीशराम बनाम रूड़ाराम वगै

दावा बाबत :- घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक : 24-06-2022

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह, प्रतिवादी की ओर से श्री विजयपाल उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 24-06-2022 को श्री शैलेश खैरवा, उपखंड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर डिक्री की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी वाद हेतुक के अभाव में व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निहित नहीं होने पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

वाद के खर्चे

	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	6	स्टाम्प वकालतनामा	26
स्टाम्प दावा वकालतनामा	45	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प दावा सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा दावीदार		खर्चा गवाहान	
खर्ची गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
	51		26

उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू